


कर्मचारी राज्य बीमा योजना

E.S.I ACT. 1948 के तहत ऐसे कारखाने/स्थापनाओं जहाँ 10 या इससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हों व 21,000/- रुपये तक प्रतिमाह वेतन प्राप्त करते हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से बहुआयामी स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा प्रदायी सुविधायें :-



चिकित्सा हितलाभ

- राज्य के 18 क.रा.बी. चिकित्सालयों द्वारा बाह्य चिकित्सा।
- एसीक आदर्श अस्पताल फुलवारीशरीफ (पटना) द्वारा अन्तरंग चिकित्सा।
- 18 'टाई-अप' चिकित्सा संस्थानों द्वारा विशिष्ट/अतिविशिष्ट चिकित्सा।
- 120/- रु० के वार्षिक अंशदान पर वृद्धावस्था चिकित्सा।
- शारीरिक सहायक व उपकरण व्यवस्था।
- चिकित्सा प्रतिपुर्ति देयक राशि का भुगतान असीमित

नगद हितलाभ (एसीक)

- बीमारी (वर्धित व विस्तारित) हितलाभ।
- अपंगता हितलाभ।
- आश्रितजन हितलाभ।
- प्रसूति हितलाभ
- प्रसव व्यय (रु० 5000 /-)।
- अन्तयेष्टि लाभ (रु० 10000 /-)।
- व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता (रोजगार चोट के कारण अपंगता की स्थिति में)।
- बेरोजगारी भत्ता।

नई पहल

- राज्य के 18 चिकित्सालयों का आधुनिकीकरण। ■ चिकित्सकों/पारामेडिक्स के क्षमतावर्द्धन के लिए निरंतर सी.एम.ई. कार्यक्रम। ■ बीमाकृत श्रमिक/आश्रितजनों के लिए निरंतर स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प। ■ Coverage बढ़ाने की बाध्यकारी व्यवस्था (वर्तमान में 1.43 लाख आच्छादित)। ■ लाभाधिकारियों के सुविधा हेतु प्रदत्त वित्तीय शक्तियों में वृद्धि।
- "कहीं भी-कभी भी" बायोमेट्रिक कार्ड आधारित चिकित्सा। ■ चिकित्सक/कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार संविदा आधारित नियुक्ति।
- एसीक नई दिल्ली के द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से बिहटा (पटना) में 500 शय्यायुक्त ई.एस.आई.सी. अस्पताल व मेडिकल कॉलेज की स्थापना।